"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी-5269/479/2002/आजावि.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
   (दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" एवं शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "रायपुर" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	ऋण सहायता अधिनियम.
2.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में समस्त स्थानीय संशोधन.
3.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में समस्त स्थानीय संशोधन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक डी-5270/479/2002/आजावि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक डी-5269/479/2002/आजावि, दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th October 2002

NOTIFICATION

No. D-5269/479/TDD/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of laws order, 2002.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the Laws for the words "Madhya Pradesh" and "Bhopal" wherever they occur the word "Chhattisgarh" and "Raipur" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	Rin Sahayata Adhiniyam.
2.	All local amendments in Protection of Civil rights Act, 1955.
3.	All local amendments in Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of atrocities) Act, 1989.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. DWIVEDI, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8 शक 1924

विधि एवं विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 118/स्था./2002/1577.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश निर्वाचन (राजपत्रित) सेवा (वर्ग-एक तथा दो) भरती नियम, 1993.
2.	मध्यप्रदेश निर्वाचन सेवा (वर्ग-तीन) भरती नियम, 1976.
3.	मध्यप्रदेश निर्वाचन सेवा (वर्ग-चार) भरती नियम, 1978.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 118/स्था./2002/1578.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 118/स्था./2002/1577, दिनांक 30-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

Raipur, the 30th October 2002

NOTIFICATION

No. 118/स्था/2002/1577.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the adaptation of Laws Order, 2002.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by under the Laws specified in the schedule continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	M. P. Election (Gazetted) Service (Class I and II) Recruitment Rules, 1993.
2.	M. P. Election Service (Class III) Recruitment Rule, 1976.
3.	M. P. Election Service (Class IV) Recruitment Rules, 1978.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Secretary/Chief Electrol Officer.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.